धारा-78. निबन्धक की कतिपय अपेक्षायें.- कृषि समिति के निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे-

(क) अधिकार-अभिलेख के उद्धरण जिनमें उन सभी खेतों की, जो समिति को अंशदान के रूप में दिये जायेंगे, अभिलिखित संख्यायें तथा कुल क्षेत्रफल दिया हो;

(ख) धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाली समिति की दशा केवल उस भूमि का वर्णन जिसे प्राप्त करना अभिप्रेत हो तथा उसे प्राप्त करने की रीति और उसके उपयोग तथा विकास करने की योजनायें;

(ग) ऐसे अन्य लेख तथा विवरण, जो नियत किये जायें।